

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन  
U.T. Administration of DNH & Daman and Diu  
राजभाषा विभाग, दमण / Official Language Department, Daman

सं. रा.भा.7(2)/अनु.कार./2021/136

दिनांक : 27/12/2021

परिपत्र / Circular

विषय :- राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन करने के बारे में।

संदर्भ:- सं.रा.भा.7(10)/नराकास बैठक/2021/127 दिनांक :- 14/12/2021

उपर्युक्त विषय के संबंध में सभी सदस्य कार्यालय अध्यक्षों को यह सूचित करना है कि दिनांक 14/12/2021 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति और राजभाषा कार्यान्वयन समिति की संयुक्त बैठक में कार्यवृत्त मद संख्या 1 के संबंध में माननीय प्रशासक के सलाहकार एवं अध्यक्ष (नराकास) द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सभी कार्यालय अध्यक्ष राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजातों को अनिवार्य रूप से हिंदी एवं अंग्रेजी अर्थ द्विभाषी रूप में जारी करना सुनिश्चित करेंगे और इसके उल्लंघन से बचेंगे। इसके अनुपालन में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर राजभाषा विभाग से संपर्क करें।

(डॉ. अनिल कौशिक)

सहायक निदेशक (राजभाषा),  
दमण

सेवा में,

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति और राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य, दमण एवं सिलवासा

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ :

1. माननीय प्रशासक के निजी सचिव, सचिवालय, दमण।
2. माननीय प्रशासक के सलाहकार की निजी सहायक, सचिवालय, दमण।
3. सचिव ( वित्त एवं राजभाषा) के निजी सहायक, सचिवालय, दमण।
4. समाहर्ता की वैयक्तिक सहायक, समाहर्तालय, दमण एवं सिलवासा।
5. उप-निदेशक (कार्यान्वयन), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम), केंद्रीय सदन, छठा तल, कमरा संख्या- 601, सेक्टर-10, बेलापुर, नवी मुंबई- 400 614
6. राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, सचिवालय, दमण को इसे प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. कार्यालय प्रति।